



Christ Church College, Kanpur

Policy of Governance of the Institution

As the College is preparing its Annual Quality Assurance Report (AQAR) for submission to NAAC by December 2023, data information from the departments on various aspects regarding the infrastructure, resources, and research inputs/outputs are required. As per the observations made by the NAAC Peer Team during their visit to our college for accreditation of cycle-1, the departments of the college needed to maintain:

1. an updated stock register, that must be checked and verified annually;
2. Each course's lesson plans and the course outcome analysis.

Hence, the IQAC proposes the following new initiative on the policy of governance at the departmental level for the smooth conduct of the same:

1. There should be an **In-Charge** of each department to be nominated by the college management with effect from the upcoming new session 2023-24 and the in-charges of the departments should rotate at regular intervals among the faculty members of the departments concerned.
2. Each science department particularly Physics, Chemistry, Botany and Zoology shall maintain stock registers, which should be checked and verified annually toward the end of each session.
3. At the end of each session, the stock of the science departments that includes the instruments and the departmental library should be checked and verified by the **Stock cum Purchase Committee** of the department.
4. The stock register should be handed over to the new in-charge of the department at the beginning of the session by the outgoing in-charge.
5. Each department of the college shall make lesson plans for each course at the beginning of each new semester and after the completion of the course, course outcome analysis should be done regularly by the faculty members and the files should be maintained in the departments.


PRINCIPAL 3/5/23




IQAC Coordinator

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उ०शि०)उ०प्र०,
डिग्री (अर्थ-1) अनुभाग
प्रयागराज।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-डिग्री अर्थ-1/

/2023-24 दिनांक 01/05/2023

विषय-अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष पद की अविधिक व्यवस्था के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूच्य है कि मा० राज्यपाल राधिकावल्य, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र दिनांक 27.02.2023 के साथ डॉ० धनन्जय सिंह, पी०पी०एन०कालेज, कानपुर व 07 अन्य के हस्ताक्षरयुक्त पत्र दिनांक 27.01.2023 की प्रति संलग्न करते हुए प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रत्यावेदकगण का उक्त पत्र के माध्यम से कथन है कि अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों में विभागाध्यक्ष पद की अविधिक व्यवस्था को समाप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करे। उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के असि०प्रोफे० एवं प्राचार्य के पद सृजित हैं तथा उन्हें सी०ए०एस० के अन्तर्गत एसो०प्रोफे० एवं प्रोफेसर वेतनमान में प्रोन्नति किये जाने की व्यवस्था है। उक्त के अतिरिक्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में यू०जी०सी० नियमन एवं अन्य विनियमों में विभागाध्यक्ष के पद का कहीं भी उल्लेख नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

डॉ०(सुनन्दा चतुर्वेदी)
संयुक्त निदेशक(उ०शि०)
कृते शिक्षा निदेशक(उ०शि०)उ०प्र०
प्रयागराज।

पृ०सं०- डिग्री (अर्थ-1)/ 558 - 898 /उसी तिथि को।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
02. डॉ० धनन्जय सिंह, पी०पी०एन०कालेज, कानपुर।

To Departments
Principal



डॉ०(वी०एल०शर्मा)
सहायक निदेशक(उ०शि०)
कृते शिक्षा निदेशक(उ०शि०)उ०प्र०
प्रयागराज।